भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1776

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्राधिकार पर बहस करके समय बर्बाद करने वाले पुलिस कर्मियों से निपटने हेतु राज्यों को सलाह

1776. श्री राजकुमार धूत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्घटनाग्रस्त अथवा कातिलाना हमले के पीड़ितों के जीवन को नजरअंदाज करके क्षेत्राधिकार पर बहस करके समय बर्बाद करने वाले पुलिस कर्मियों से निबटने के लिए राज्यों को कोई सलाह जारी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं ।

*****